फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 180 जून 2003

कहत कबीर

मानवों का, समस्त जीवों का, प्रकृति के सब पहलुओं का दोहन बढाना मण्डी का आदि और अन्त है।

कुछ बातें विरोध के तरीकों के बारे में

वर्तमान में व्यक्ति इस कदर चक्रव्यूहों में घिरी-घिरा है कि हर एक को अनगिनत समझौते करने पड़ते हैं। प्रतिदिन हम ऐसी-ऐसी हरकतें बरदाश्त करते हैं कि मन लहुलुहान हो जाता है। हर रोज हम स्वयं ऐसे-ऐसे करम करते हैं कि कह नहीं सकते। इन्हें मजबूरियों के आवरण में लपेट कर हम अपने मन को तसल्ली देते हैं। मजबूरी वास्तविक थी अथवा ओढी हुई, यह करना था अथवा वह नहीं सहना था के द्वन्द्व हमारे अन्दर चलते रहते हैं, हमें मथते रहते हैं। ✱ बाहर बेशक हम कितने ही तीसमारखाँ होने के दावे करें, यह अक्सर होता है कि हर समय हम स्वयं को असहाय पाते हैं। आमतौर पर व्यक्ति का यह खुद को सही-सही जानना है, स्वयं के असहाय होने का अहसास है कि व्यक्ति खुद की नजरों में गिरती-गिरता है। स्वयं को हेय दृष्टि से देखना, व्यक्ति का खुद के लिये आदर नहीं होना आज बहुत व्यापक है तथा बढता जा रहा है। और, यह स्वयं के लिये आदर का अभाव है जो दूसरों के लिये अनादर के रूप में भी अभिव्यक्त होता है। ✱ चूँकि कम-बेशी प्रत्येक के संग ऐसी स्थितियाँ हैं, इसलिये जिनसे हमारा निकट से वास्ता पड़ता है, जिन्हें हम ज्यादा जानते हैं उनके प्रति खुला अथवा छिपा अनादर बहुत अधिक होता है। जो ज्यादा दूर हैं, जिनसे कभी-कभार वास्ता पड़ता है, जिन्हें बहुत कम जानते हैं उनके प्रति आदर का भाव पैदा करना निकट वालों की तुलना में आसान लगता है। ✱ **पीड़ित द्वारा अपने अन्तर्मन में स्वयं को दोषी ठहराना, अन्य पीड़ितों को दोषी करार देना बहुत ही घातक है। यह हमारा चक्रव्यूहों में फँसे रहना सुनिश्चित करता है। आसपासवालों में एक-दूसरे के प्रति अनादर का होना, एक-दूसरे को हेय दृष्टि से देखना आसपासवालों के बीच तालमेलों में प्रमुख रुकावटों में है। और, आसपासवालों के बीच तालमेल प्रस्थान-बिन्दु हैं चक्रव्यूहों की काट के।** ✱ सत्य, प्रेम, आदर के लिये मचलते मन परस्पर आदर के लिये पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। बात दूसरों की हरकतों अथवा अपने करमों को अनदेखा करने की नहीं है। बल्कि, अपने को—दूसरों को कोसते रहने की बजाय सवाल ऐसे कदम उठाने का है जो मजबूरियों से घिरे लोग सहज उठा सकें और वर्तमान समाज व्यवस्था के स्थान पर नई समाज रचना की तरफ बढ सकें।

● पूरा माहौल ही शत्रुतापूर्ण लगता है। हालात बद से बदतर होती गई हैं। ऐसे में जो बीत गया वह आज से बेहतर था की भावनायें कई मौकों पर उमड़ती हैं।

इसलिये स्वाभाविक है विरोध के कदमों का बढना। हर व्यक्ति अधिकाधिक विरोध वाले कदम उठाती-उठाता है। विभिन्न प्रकार के तालमेलों वाले सामुहिक कदम भी लगातार बढते जा रहे हैं। ऐसे में " विरोध थम गये हैं" अथवा "विरोध धीमे पड़ गये हैं" जैसी बातें वही लोग करते हैं जो नेताओं वाले पैमाने अपनाते हैं। हाँ, हड़ताल-प्रदर्शन-सभा वाली विरोध की पिटी-पिटाई राहों से लोगों द्वारा किनारा करना बढ रहा है।

● हम इस-उस परेशानी के खिलाफ कदम उठाते हैं। नेताओं के इर्द-गिर्द वाले चन्द कदमों के ठण्डे पड़ने ने हमारे निजी तथा बिना नेताओं वाले तालमेलों द्वारा सामुहिक कदमों को बढाया ही है। विरोध इतने प्रकार के, इस कदर व्यापक और गहरे हो रहे हैं कि वर्तमान समाज व्यवस्था लाचार होती जा रही है।

● शरीर की बीमारी जैसे स्वयं को सिरदर्द, बुखार, खाँसी आदि लक्षणों में प्रकट करती है वैसे ही समाज की बीमारी खुद को लोगों की विभिन्न प्रकार की परेशानियों के रूप में व्यक्त करती है।

लक्षणों का इलाज नहीं होता। लक्षणों से राहत के तरीके होते हैं। राहत के कुछ तरीके बीमारी को छिपाते हैं। तत्काल राहत वाले वह तरीके हमें चाहियें जो कि बीमारी को उजागर करें ताकि हम उसका इलाज कर सकें।

● कथा है कि अष्टावक्र के तन में आठ मोड़ थे जो कि शायद प्रकृतिजन्य थे जबकि हमारे तन में तो काम के बोझे ने अस्सी मोड़ डाल दिये हैं। और, हर कदम पर-प्रत्येक क्षण हमारे मन पर इतने थपेड़े पड़ते हैं कि बचाव के लिये अक्सर हम टेढे हो जाते हैं। नतीजतन आज प्रत्येक मन हजारों मोड़-तोड़ वाले टेढेपन से पीडित है।

पिटी-पिटाई राहों को छोड़ना अन्य राहों पर बढने, नई राहें बनाने के लिये आवश्यक है।

● झूठ, फरेब, तिकड़मबाजी से हम पीड़ित हैं। बाहुबल, धनबल, बुद्धिबल के हम शिकार हैं। होड़-प्रतियोगिता हम पर धीमी छुरी चलाने समान है। अपने इक्कीस होना, दूसरे को उन्नीस बनाना एक-दूसरे को छलनी करना लिये है। ताबेदारी लहुलुहान करती है।

कई बार बचाव के लिये मजबूरी में टेढापन आवश्यक लगता है लेकिन यह आमतौर पर दलदल में हाथ-पैर मार कर निकलने के प्रयास के समान है। हम और धँसते जाते हैं। तथा, मजबूरी को आदर्श बना लेना तो मन-विवेक को गिरवी रख कर चलती-फिरती लाश बन जाने की राह है। यह सोचना नादानी होगी कि हम "परायों" के संग तक ही टेढे रह सकते हैं।

हम विभिन्न प्रकार से स्वयं तथा सहयोगियों के संग मिल कर इन सब का विरोध करते हैं। लेकिन.... लेकिन पड़ोसी से, निकटजन से झूठ-फरेब- तिकड़म बाजी कई बार दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। कार्यस्थल पर हम उत्पादन बढाने वाले सहकर्मी पर लगाम लगाने और होड़ के स्थान पर तालमेलों के प्रयास करते हैं परन्तु अपने बच्चों को होड़ की, अन्य बच्चों से आगे होने की शिक्षा देते हैं। कार्यस्थल पर हम साहब के पर कतरने को लालायित रहते हैं जबकि अपने बच्चों को साहब बनाने के लिये हम पापड़ बेलते हैं। बाहर ताबेदारी के खिलाफ हमारा सही आक्रोश परिवार में पहुँचते-पहुँचते थानेदारी में बदल जाता है ....

हमारे यह परस्पर-विरोधी आचार-विचार हैं जो कि हमारे लिये विचारणीय हैं। अपने ऊपर लदे बोझ से हम दो पत्थर उतारते हैं और एक पत्थर उठा कर फिर अपने ऊपर लाद लेते हैं!

(बाकी पेज तीन पर)

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून हैं – ●साप्ताहिक छुट्टी के बाद हरियाणा में हैल्पर को इस समय महीने की कम से कम तनखा 2197 रुपये 84 पैसे, अर्ध-कुशल को 2307 रुपये 84 पैसे, कुशल को 2457 रुपये 84 पैसे, उच्च कुशल मजदूर को 2757 रुपये 84 पैसे कम से कम; ●जहाँ एक हजार से कम मजदूर हैं वहाँ वेतन 7 तारीख से पहले और जिस कम्पनी में हजार से ज्यादा हैं वहाँ 10 तारीख से पहले; ●स्थाई काम के लिये स्थाई मजदूर, आठ महीने लगातार काम करने पर परमानेन्ट; ●ओवर टाइम समेत एक हफ्ते में 60 घण्टों से ज्यादा काम नहीं लेना, तीन महीनों में 75 घण्टों से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं, ओवर टाइम के लिये पेमेन्ट डबल रेट से; ●फैक्ट्री शुरू होने के पहले दिन से प्रोविडेन्ट फण्ड, मजदूर के वेतन (बेसिक व डी.ए.) से 10 प्रतिशत काटना और 10 प्रतिशत कम्पनी ने देना, हर महीने 15 तारीख से पहले यह 20 प्रतिशत राशि मजदूर के भविष्य निधि खाते में जमा करना; ●फैक्ट्री में एक घण्टे की ड्युटी पर भी ई.एस.आई.; ●कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को भी 20 दिन पर एक दिन की अर्न्ड छुट्टी तथा त्यौहारी छुट्टियाँ;

पैरामाउन्ट पोलीमर मजदूर : "प्लॉट 60 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में सातों दिन काम लेते हैं, साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते। हैल्परों को महीने के तीसों दिन काम के बदले में 1400-1600 रुपये देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं लागू किया है। वार्षिक बोनस नहीं देते।"

अम्बिका इन्डस्ट्रीज वरकर : "20/3 मथुरा रोड़ पर नोरदर्न इण्डिया में स्थित फैक्ट्री में सुबह साढे आठ से रात 7 बजे तक ड्युटी है और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। आधे मजदूरों के नाम ही रजिस्टर पर लिखे हैं नहीं देते और फैक्ट्री में चोट लगने पर पर्ची बना कर सैक्टर-22 में एक डॉक्टर के पास भेज देते हैं। पी.एफ. भी नहीं है।"

चाँद इन्डस्ट्रीज वरकर: "एक नम्बर स्थित फैक्ट्री में अप्रैल की तनखा आज 19 मई तक हमें नहीं दी है।"

हिन्दुस्तान वैक्यूम ग्लास मजदूर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में कम्पनी ने ठेकेदारों के जरिये वरकर रखे हैं। दिहाड़ी 40-50 रुपये देते हैं, 1200-1300 रुपये महीना तनखा। आज 22 मई तक अप्रैल माह का यह वेतन भी नहीं दिया है।"

ओरफिक डाइंग वरकर : "सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हम 1200 मजदूर काम करते हैं – सब लोग ठेकेदारों के जरिये रखे गये हैं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। आठ घण्टे के हैल्पर को 70 रुपये और कारीगर को 80 रुपये देते हैं। ओवर टाइम काम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं।"

ले मोन्ट एक्सपोर्ट मजदूर : "यह फैक्ट्री प्लासर इण्डिया के पास है। महँगाई के आँकड़े आते हैं परन्तु साल-भर से कम्पनी हमें डी.ए. के पैसे नहीं दे रही।"

कम्पनियों की लगाम

हर कार्यस्थल पर हजारों तार होते हैं; हजारों नट-बोल्ट होते हैं; नालियाँ-सीवर होते हैं; कई-कई ऑपरेशन होते हैं; रात-दिन को लपेटे शिफ्टें होती हैं। इसलिये मैनेजमेन्टों को रोकने-डाटने के लिये मजदूरों के हाथों में कारगर लगाम हैं: ✶ पाँच साल दौड़ने वाली मशीनें छह महीनों में टें बोल दें; ✶ कच्चा माल-तेल-बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक मात्रा से डेढी-दुगनी इस्तेमाल हो; ✶ ऑपरेशन उल्टे-पल्टे हो कर क्वालिटी को गँगा नहा दें; ✶ बिजली कभी कड़के, कभी दमके, कभी आँख-मिचौनी करने मक्का-मदीना चली जाये; ✶ अरजेन्ट मचा रखी हो तब ऐसे ब्रेक डाउन हों कि साहबों को हृदय रोग हो जायें।

बिना किसी प्रकार की झिझक के, शान्त मन से, ठन्डे दिमाग से सोच-विचार कर कदम उठाने चाहियें।

परन्तु उन्हें भी रजिस्टर में लिखे पैसे नहीं देते। हैल्परों को 1350-1400 और ऑपरेटरों को 1600-1700 रुपये महीना तनखा देते हैं।"

टालब्रोस मजदूर: "प्लॉट 75 सैक्टर-6 स्थित प्लान्ट में कम्पनी ने ठेकेदारों के जरिये वरकर रखे हैं। हैल्परों को 1300-1400 और ऑपरेटरों को 1800 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं।"

मन्चूर इन्डस्ट्रीज वरकर: "प्लॉट 181 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में अप्रैल का वेतन आज 22 मई तक नहीं दिया है। कैजुअल वरकरों को तो मार्च की तनखा भी अभी तक नहीं दी है। वर्दी, बोनस भी बकाया हो गये हैं। दो साल से कम्पनी हमारा पी.एफ. भी जमा नहीं कर रही।"

सुपर सील मजदूर: "बदरपुर बॉर्डर स्थित फैक्ट्री में अप्रैल का वेतन आज 24 मई तक हमें नहीं दिया है।"

नौनिहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग वरकर : "मार्च की तनखा ही 13 से 16 मई तक जा कर दी। आज 19 मई हो गई है और अप्रैल माह की तनखा का तो कोई जिक्र तक नहीं है।"

हिन्दुस्तान डाइकास्टिंग मजदूर: "प्लॉट 3 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1300 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. कार्ड

जिन्दल एप्लाइन्सेज वरकर : "सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 22 परमानेन्ट मजदूर हैं और 3 ठेकेदारों के जरिये 220 वरकर रखे गये हैं। हैल्परों को 1400 और कारीगरों को 1600-2200 रुपये महीना देते हैं। कुछ वरकरों की ई.एस. आई. व पी.एफ. हैं और कुछ की नहीं। सरकारी अफसरों ने कई बार फैक्ट्री पर छापे डाले हैं।"

नैपको गियर मजदूर : "20/4 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में वेतन देरी से देते हैं। मार्च की तनखा 3 मई को जा कर दी और अप्रैल की 23 मई को। जनवरी से देय डी.ए. के पैसे कम्पनी ने हमारे वेतन में नहीं जोड़े हैं।"

सी.एम.आई. वरकर : "प्लॉट 71 व 82 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्रियों में अप्रैल का वेतन आज 22 मई तक नहीं दिया है। कम्पनी ने लोगों को नौकरी से निकालने का सिलसिला शुरू किया हुआ है।"

कोसमोस फाइबर ग्लास मजदूर : "प्लॉट 60 डी.एल.एफ. स्थित फैक्ट्री में जिन वरकरों की तनखा 3000 रुपये से ऊपर है उन्हें ओवर टाइम काम के पैसे कम्पनी नहीं देती। तीन हजार से कम तनखा वालों को ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। जो डी.ए. आता है वह पैसे कम्पनी हमें नहीं देती।"

एन.सी.पी. फोरजिंग वरकर : "प्लॉट 141-142 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1500 रुपये महीना तनखा देते हैं और इन 1500 में से 225 रुपये ई.एस.आई. तथा पी.एफ. के नाम से काट लेते हैं। पैसे खत्म हो गये कह कर आज 17 मई तक सब मजदूरों को अप्रैल का वेतन नहीं दिया है और साहब पहाड़ घूमने चले गये।"

साधु फोरजिंग मजदूर : "सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में अप्रैल की तनखा आज 14 मई तक मात्र 10-12 मजदूरों को दी गई है।"

मेल्को प्रिसिजन वरकर : "प्लॉट 4 सैक्टर-27 ए स्थित फैक्ट्री में अप्रैल का वेतन आज 21 मई तक नहीं दिया है। फैक्ट्री में कार्यरत 44 परमानेन्ट वरकरों में से 10 को ले-ऑफ कम्पनी ने 60 दिन से लगा रखा है।"

इन्जेक्टो मजदूर : "वेतन नहीं दिये जाने की शिकायतों पर आखिरकार अधिकारियों ने मार्च में फैक्ट्री पर छापा मारा था। फिर श्रम विभाग में मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौता हुआ था। आगे से हर महीने तनखा देने और बकाया तनखाओं के एक हजार रुपये हर माह देने वाले समझौते पर अमल नहीं किया गया है। जनवरी-फरवरी-मार्च-अप्रैल की तनखायें आज 24 मई तक हमें नहीं दी हैं।"■

अनुभव – विचार

पोलर फैन मजदूर : " 1993 में लगे मजदूरों से कम्पनी ने 1996 में इस्तीफे लिखने को कहा। जिन लोगों ने इस्तीफे लिख दिये उन्हें नौकरी से निकाल दिया लेकिन जिन्होंने इस्तीफे लिखने से इनकार कर दिया वे आज भी पोलर फैन में नौकरी कर रहे हैं। इन 6 वर्षों के दौरान कम्पनी इस्तीफे लिखने पर जोर देती रही है और संग ही संग हमें ठेकेदार के जरिये रखे वरकर कहती रही है। वेतन-भत्तों में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वार्षिक बोनस 6 वर्ष से कम्पनी हमें नहीं दे रही। ओवर टाइम काम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं।"

बत्रा एसोसियेट्स वरकर : "मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौते के बाद यूनियन लीडरों ने हिसाब ले कर ऐसी भगदड़ मचवाई कि 35 मजदूर भी नौकरी छोड़ गये। बाकी बचे हम 65 ने दूसरी यूनियन का पल्लू पकड़ा है जो कि चण्डीगढ गई है।"

शिवशक्ति सेक्युरिटी गार्ड : " कम्पनी का स्थानीय दफ्तर प्लॉट 79 सैक्टर-25 में है और यहाँ 250 कर्मचारी हैं। जनरल मैनेजर नोएडा से आता है और दादागिरी करता है। हमें एकमुश्त तनखा देने की बजाय सौ-दो सौ रुपये एडवान्स दे-दे कर हालात ऐसी बना दी हैं कि हमारी 8 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं। हम ने श्रम विभाग में शिकायतें की हैं – तारीख पड़ती रहती हैं।"

जैना कास्ट मजदूर : " प्लॉट 23 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में हम 150 परमानेन्ट मजदूर थे और अब 80 बचे हैं। जिन 70 को नौकरी से निकाला उन्हें हिसाब में चेक दिये। अधिकतर के चेक बैंक ने यह कह कर लौटा दिये कि खाते में पैसे नहीं हैं। काफी भाग-दौड़ के बाद उन्हें पैसे मिले। इधर हमारी 3 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं। फरवरी के वेतन में से 500-500 रुपये कल 22 मई को हमें दिये। हम ने यूनियन से पिण्ड छुड़ा लिया है और अब खुद देखेंगे।"

इण्डिया फोर्ज वरकर : " प्लॉट 28 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में तनखा में से प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काटते हैं परन्तु नौकरी से निकाल देते हैं तब पी.एफ. के पैसे मजदूर को नहीं मिलते। एक वरकर की तनखा में से 10 महीने पी.एफ. के पैसे काटे और उसे नौकरी से निकाल दिया तब चक्कर काटने के बाद भी पी.एफ. के पैसे उसे नहीं मिले। उस वरकर के निकाल दिये जाने के दो महीने बाद तक हमारी तनखा में से पी.एफ. के पैसे काटे जाते रहे। हम ने एतराज किये और फिर विभाग में काम बन्द कर दिया तब जा कर हमारे वेतन में से पी.एफ. के पैसे काटने बन्द किये।"

क्लच आटो मजदूर : "सराय के पास मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में वेतन देरी से देने का सिलसिला चल रहा है। वेतन देना शुरू कर देते हैं उसके बाद भी सब को तनखा देने में दस दिन तक खींच देते हैं। तीन शिफ्ट हैं और उत्पादन खूब हो रहा है – अमरीका को निर्यात किया जाता है। चार सौ तो कैजुअल वरकर हैं। मार्च की तनखा 26 अप्रैल को देनी शुरू की थी। इधर अप्रैल का वेतन आज 21 मई तक नहीं दिया है – इस पर लीडरों ने 20 मई से टूल डाउन घोषित की हुई है।"■

महिला मजदूर

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : " 12/6 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में हम महिला मजदूरों से सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करवाते हैं। हमें एक से डेढ बजे तक आधा घण्टा भोजन के लिये देते हैं पर इसके बदले में 5 से साढे पाँच बजे तक काम करवाते हैं और फिर रात 9 बजे तक ओवर टाइम करवाते हैं। हमारी तनखा मात्र 1300 रुपये महीना है और यह पैसे भी बहुत देरी से देते हैं। अप्रैल की तनखा आज 21 मई तक हमें नहीं दी है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं और हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। इस सब के विरोध में हम कुछ बोलती हैं तो अफसर हमें गालियाँ देते हैं।"■

बज रहा है बैण्ड

बैण्ड बाजा कारीगर : "देवों के जागने से देवों के सोने तक के आठ महीने हम बारातों में बाजे बजाते हैं। हम में से कोई हापुड़ से, कोई आगरा से, कोई जयपुर से सीख कर यहाँ आये हैं। बैण्ड कम्पनी से हमारी 8 महीने की एग्रीमेन्ट होती – 16,18,20,24 हजार रुपये में। एग्रीमेन्ट से हमें बाँधने के लिये बैण्ड कम्पनी पहले-पहल 1500-2000 रुपये दे देती है लेकिन बाद में पैसे देने में बहुत परेशान करते हैं और 50-100 कर-कर के देते हैं। एक बारात में बैण्ड के लिये कम्पनी 5-10-20 हजार रुपये लेती है और वर्ष में 15-20 लाख रुपये कमाती हैं लेकिन हम कुशल कारीगरों को महीने के 2 हजार रुपये भी नहीं पड़ते। गुजारा चलाने के लिये हमें बैण्ड में बाजे बजाने के संग-संग अन्य फुटकर काम-धन्धे करने पड़ते हैं। बारात में बाजे हमें हर हाल में बजाने पड़ते हैं – छुट्टी तो हमें देते ही नहीं और किसी भी कारण से कोई बारात में बजाने नहीं पहुँचता तो एक दिन के पाँच सौ रुपये कम्पनी काट लेती है। घर में कितना ही जरूरी काम हो, हम छुट्टी करने से बचते हैं। बारात के दौरान किसी कारीगर की तबीयत खराब हो जाये तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता – बस बजाते रहो। हम से भी फटेहाल लोग सिर पर ट्युब लाइटें टाँगे चलते हैं और नाचते-झूमते लोगों के लिये हम वर्दी पहने बजाते चलते हैं। बाहर भी जाना पड़ता है और रात को तो देर हो ही जाती है – हमारे खाने का कोई समय नहीं होता, पता ही नहीं रहता कि कब भोजन कर पायेंगे। विवाह वालों के लिये बारात कभी-कभार होती है जबकि हमें आठ महीने लगातार उन्हें भुगतना पड़ता है।"■

कुछ बातें विरोध के तरीकों के बारे में (पेज एक का शेष)

● उँगली पे कंकड़ उठाने की क्षमता प्रत्येक में है। तालमेलों द्वारा उँगलियों पे कंकड़ उठाना हिमालयी बोझ वाले वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध को बदलने की क्षमता लिये है। अपनी और अन्यों की मजबूरियों के अहसास के आधार पर वे राहें चुननी बनती हैं जो सीधे-सच्चे व्यवहार की तरफ हमें ले जायें। टेढेपन का इलाज सीधापन है – हमारा अपना मन तो खिलेगा ही, "शत्रु" का मन भी सीधेपन के लिये मचलेगा।

हमारा मुकाबला, हमारा विरोध एक सामाजिक सम्बन्ध से है। इस सामाजिक सम्बन्ध को बदलने के लिये इसके आधारों को नष्ट करने की राहों पर बढना जरूरी है।

● "सीधी उँगली से घी नहीं निकलता" – यह घी निकालने वालों का, शोषण करने वालों का मुहावरा है। मोर्चाबन्दी रूपी लड़ाई, जहाँ तत्काल नतीजे चाहियें, जहाँ आर-पार वाली बातें हों वहाँ झूठ-फरेब-तिकड़मबाजी-टेढापन अनिवार्य बन जाते हैं। टेढेपन से टेढेपन को टोकना, रोकना, निपटना इस लक्षण पर वह मरहम लगाना है जो बीमारी को बढाता है।

टेढेपन से टेढापन दूर नहीं होता बल्कि बढता जाता है। टेढेपन का इलाज सीधापन है।

● सीधी उँगलियों वाले तालमेलों से वह ताने-बाने बनते नजर आते हैं कि मन तो बाग-बाग हों ही, तन भी स्वस्थ होंगे। हमारे विरोध के तरीकों को आँकने का पैमाना यह बनता है कि ये सीधे-सच्चे व्यवहार के लिये जगह बढाते हैं अथवा नहीं।■

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये:

✱ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ✱बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ✱बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद–121001

लुधियाना से पर्चा

(मोल्डर एण्ड स्टील वरकरज यूनियन, हौजरी वरकरज यूनियन, लोग संघर्ष कमेटी जस्सोवाल सूदां और मजदूर यूनियन इलाका खन्ना द्वारा 19 मई को जारी एक पर्चा हमें प्राप्त हुआ है जिसमें कार्यस्थलों पर खतरनाक हालातों के मुद्दे को उठाया गया है। पर्चे से प्राप्त जानकारी को संक्षेप में और अपने शब्दों में हम यहाँ दे रहे हैं।)

10 मई को लुधियाना की घनी आबादी वाले इलाके के खुड मुहल्ले में स्थित जग्गू हौजरी में आग लगी। कई लोग जिन्दा जल गये और 90 लोग अस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं।

70 वर्ग गज की तंग जगह। नीचे हौजरी संचालक का परिवार और ऊपर की मंजिल में मजदूर काम करते थे। आने-जाने का केवल एक ही दरवाजा। कोई खिड़की नहीं, कोई रौशनदान नहीं। नीचे बाहर वाले गेट के अन्दर 4-5 फुट की गैलरी में अति-ज्वलनशील बैंजीन के ड्रम व कैन। यह थी जग्गू हौजरी।

आप अपनी फैक्ट्रियों में कार्यस्थलों को जरा गौर से देखो। ठोंस-ठोंस कर मशीनें लगाई होती हैं, गुजरने को पूरा रास्ता भी नहीं होता। बिजली की नंगी तारें व खस्ताहाल वायरिंग। खिड़की-रौशनदानों का अभाव। तेजी से आग पकड़ने वाले बैंजीन, डीजल, मिट्टी का तेल, प्लास्टिक की थैलियों को सुरक्षित नहीं रखा जाना, यूँ ही बिखरी पड़ी रहना। गैसों-कणों-कचरे से बचाव का कोई प्रबन्ध नहीं। आग बुझाने के उपकरणों, पानी, मरहम-पट्टी का अभाव — प्रशिक्षित व्यक्तियों की तो बात ही नहीं।

लागत कम करने के लिये लगातार चल रही चौतरफा मारामारी का सामान्य परिणाम हैं फैक्ट्रियों में आग लगना, भट्टियों का फटना, छत गिरना, बिजली की चपेट में आना, मशीन से कट जाना। कार्यस्थलों पर मौत हर वक्त मजदूरों के सिर पर मंडराती रहती है। जिन्हें एक्सीडेन्ट कहा जाता है वे वर्तमान समाज व्यवस्था में वास्तव में रुटीन हैं।

सरकारी विभाग — नगर निगम, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण बोर्ड, जिला प्रशासन इत्यादि फैक्ट्रियों के संरक्षक हैं इसलिये फैक्ट्रियों में सामान्य तौर पर मानवद्रोही स्थितियों पे परदे डालते हैं। अधिकारी पैसे भी खाते हैं। काण्ड-घटना की स्थिति में फोके आँसू बहाना और जाँच- मुआवजा के थोथे बयान सरकारों की सामान्य क्रिया है।

जग्गू हौजरी में जल कर मरे मजदूरों की शिनाख्त नहीं हुई है। मरने वाले मजदूर कितने थे, कौन थे, उनके वारिस कौन हैं — इन सब बातों की तरफ ध्यान देने की फुरसत किसी साहब को नहीं है। सरकारी रिकार्ड में वे हैं ही नहीं! यह भी सामान्य बात है — फैक्ट्रियों में काम करते आधे से ज्यादा मजदूरों को तो अधिकतर कम्पनियाँ कागजों में दिखाती ही नहीं।

कार्यस्थलों पर खतरनाक हालातों को बनाने की दोषी सरकारें व कम्पनियाँ हैं। इनकी नजरों में इस्तेमाल के सिवा मजदूर की जिन्दगी के कोई मायने नहीं होते। कारखानों को यहाँ से वहाँ ले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर, मौत के ताँडवों का यह सिलसिला आखिर रुकेगा कैसे? यह ताँडव केवल तब रुकेंगे जब खुद मजदूर इनको बदलने के लिये कदम बढायेंगे।

जग्गू हौजरी में लगी आग में संचालक का परिवार व मजदूर तो मरे ही, आस-पड़ोस के लोग भी मरे व जले हैं। आग से घिरे लोगों को बचाने, अस्पताल पहुँचाने, रक्त देने, लंगर लगाने में सामान्यजन ने बड़ा ही प्रशंसनीय रोल निभाया है।■

तिलपत से-

(तिलपत से प्राप्त एक पत्र में फरीदाबाद में दिल्ली बॉर्डर की तरफ स्थित फैक्ट्रियों में हालात की चर्चा है। पत्र की कुछ सामग्री संक्षेप में हम यहाँ दे रहे हैं।)

★ **राजश्री स्टेरिंग**, प्लॉट नं. 3 सैक्टर-27 सी स्थित फैक्ट्री में जब चाहें मजदूर को नौकरी से निकाल देते हैं। बरसों से काम कर रहे वरकरों को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं और प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं है। तनखा 58 रुपये और 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं।

★ **पी-एम्परो एक्सपोर्ट**, मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। कम्पनी के अधिकारियों को इस बारे में कहने पर नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं। वैसे, जनरल मैनेजर अथवा परसनल मैनेजर के पास शिकायत ले कर कोई मजदूर पहुँच जाती-जाता है तो यह साहब अपनी जेब से पैसे दे कर मजदूर को विदा करते हैं तथा ठेकेदार की पेशी लगाते हैं और फिर शिकायत करने वाले वरकर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं और प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। ठेकेदारों में मैडम भी हैं। इस फैक्ट्री में महिला मजदूरों से रात की शिफ्ट में भी काम करवाया जाता है — कहते हैं कि यह मैनेजरों से चोरी-छुपके होता है!

★ **क्लासिक प्रिन्ट**, 12/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में बरसों से काम रहे मजदूरों को ई.एस.आई.कार्ड नहीं दिये हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। हैल्परों को 1200,1300 और 1400 रुपये महीना तनखा देते हैं।■

मेरठ से-

★ हम **मवाना शुगर मिल** में काम करते हैं। मिल ताजी गर्म राख हमारी झुग्गी बस्ती के पास डालती रहती है। इससे प्रचण्ड आँच का सामना तो हमें करना ही पड़ता है, कई बार हमारे मवेशी व बच्चे भी जल जाते हैं। हमारी शिकायतों का मिल या पुलिस-प्रशासन, किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। हाल ही में रात में यह राख भारी मात्रा में आम रास्ते तक पर फिंकवा दी गई। दीपा (6 वर्ष), मोहित (7 वर्ष), नीतू (14 वर्ष) एवं विनोद (28 वर्ष) के पैर बुरी तरह झुलस गये। शासकीय चिकित्सक के अनुसार बच्चों के ठीक होने में 15 दिन से अधिक का समय लग सकता है।

हम ने फिर शिकायतें की। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, विधायक से मिले। मिल प्रबन्धन के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया। कार्यवाही आरम्भ हुई। मिल के अधिकारियों ने तेज-तर्रार मजदूरों को धनराशि दे कर तथा अन्य मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकियाँ दे कर मामला रफा-दफा कर दिया।

★ हम **चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ** के दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं। हम में से तृतीय श्रेणी (क्लर्क आदि) को 1664 रुपये महीना तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों को 57 रुपये प्रतिदिन कार्य दिवसों के हिसाब से देते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय में लंगूर पाला जा रहा है और उसकी देखभाल करने वाले कर्मचारी का वेतन 5000 रुपये है। ठेकेदार के जरिये रखे सेक्युरिटी गार्ड का विश्वविद्यालय में वेतन तीन हजार रुपये महीना है। इस सूरत के खिलाफ हम दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने आन्दोलनात्मक रुख अख्तियार किया। इस पर हालात की समीक्षा के लिये विश्वविद्यालय ने एक समिति गठित की। कुल सचिव, वित्तनियंत्रक, लेखाधिकारी एवं दो प्रोफेसरों वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि समान सेवादारों के वेतन के बीच की खाई को कम किया जाये। समिति की रिपोर्ट को आये भी वर्ष-भर हो रहा है परन्तु अभी तक कोई व्यवहारिक पहल मेरठ विश्वविद्यालय ने नहीं की है।

★ उत्तर प्रदेश के **राज्य चीनी निगम** के प्रबन्ध निदेशक बाबा हरदेव सिंह ने प्रदेश की बन्द पड़ी 11 चीनी मिलों के समस्त कर्मचारियों की नौकरियाँ समाप्त करने का फरमान जारी किया है। बाबा ने नौकरी से निकाले जाने के एवज में 15 दिन के हिसाब से भुगतान करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बाबा हरदेव सिंह भ्रष्टाचार उन्मूलन व मानवता के मसीहा के रूप में चर्चित रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि राज्य चीनी निगम की मिलों में एक हजार पद रिक्त पड़े हैं। प्रबन्ध निदेशक के फरमान की चपेट में मलियाना (मेरठ) मिल के हम 68 स्थाई तथा 25 सीजनल कर्मचारी भी आये हैं। विरोध में हम ने कदम उठाये हैं और मुख्यमन्त्री को अवगत कराया है परन्तु अभी तक हमें कोई सकारात्मक आसार नजर नहीं आये हैं।

— नीलम

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।